सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 574 / सो.आ.नि.–3/463/ 2019
दिनाँकः 29 जनवरी, 2019

दिनांक 22 जनवरी, 2019 को जिला विकास अधिकारियों की समीक्षा हेतु आयोजित Video Conferencing का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22–01–2019 को प्रदेश के समस्त जिला विकास अधिकारियों के साथ **Video Conferencing** के माध्यम से सोशल आडिट से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। सर्वप्रथम सभी जिला विकास अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि सोशल आडिट टीम सदस्यों एवं **BRP** का चयन करते हुए पैनल के गठन की कार्यवाही निर्धारित तिथियों कमशः दिनांक 31 जनवरी, 2019 एवं 15 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए किन्तु **Video Conferencing** के दौरान कतिपय जनपदों जैसे बांदा, कानपुर देहात, मथुरा, चित्रकूट एवं बुलन्दशहर आदि ने अवगत कराया कि उनके विकास खण्डों में सोशल आडिट टीम सदस्यों एवं **BRP** हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण पैनल गठन की कार्यवाही पूर्व निर्धारित तिथियों तक किया जाना सम्भव नहीं है। जिला विकास अधिकारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सोशल आडिट टीम सदस्यों एवं **BRP** हेतु आवेदन पत्र पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए।

अपर निदेशक (वित्त) द्वारा जिला विकास अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद में निदेशालय द्वारा वांछित धनराशि के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा समस्त जनपदों को धनराशि निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद भी कतिपय जनपदों द्वारा अभी तक वांछित धनराशि उपलब्ध नहीं कराइ गई है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला विकास अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद में निदेशालय द्वारा वांछित धनराशि यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक (वित्त) द्वारा जिला विकास अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि जनपदों में चल रहे सोशल आडिट में जिन सोशल आडिट टीम सदस्यों/BRP द्वारा प्रतिभाग/फैसिलिटेशन का कार्य किया गया हो, को अनुमन्य व्यवसायिक शुल्क के भुगतान हेतु मांग–पत्र यथाशीघ्र निदेशालय को प्रेषित करें एवं जिला विकास अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि गत वर्षों में सोशल आडिट के दौरान पाई गई कमियों का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए रिकवरी के सम्बन्ध में कार्यवाही कराना तथा जिलाधिकारी स्तर पर आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा कराना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त, सोशल आडिट द्वारा जिला विकास अधिकारी, कासगंज को अवगत कराया गया कि जनपद कासगंज में सोशल आडिट टीम के गठन एवं **BRP** के चयन हेतु निदेशक, महोदया द्वारा अलग से निर्देश निर्गत किए जा रहे है। जिला विकास अधिकारी, हापुड़ के अनुरोध पर सोशल आडिट टीम के गठन एवं **BRP** के चयन कार्य में सहयोग हेतु निदेशालय से श्री राजकुमार कुशवाहा, **MSAC** को भी सम्बद्व करने का निर्देश दिया गया।

श्री एम0पी0 सिंह, कन्सलटेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में भ्रमण के समय सोशल आडिट में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सोशल आडिट हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों की स्थाई सूची न तो सोशल आडिट टीमों को उपलब्ध कराई जाती है और न ही ग्राम पंचायत, सचिव के पास ही उपलब्ध रहती है।
2. किसी भी ग्राम पंचायत की सोशल आडिट, ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों की ही नहीं होती अपितु महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए कार्यों की भी होती है जबकि ग्राम पंचायत के अलावा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेख सोशल आडिट टीमों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिला विकास अधिकारियों का ध्यान इस पर भी अपेक्षित है।
3. महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सोशल आडिट कैलेण्डर की प्रति उपायुक्त, श्रम रोजगार तथा परियोजना निदेशक, **DRDA** को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

श्री उदयराज यादव, कन्सलटेन्ट द्वारा जिला विकास अधिकारियों का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित किया गया:–

1. क्षेत्र भ्रमण में यह पाया गया कि सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक में पर्यवेक्षणीय अधिकारी उपस्थित नहीं रहते, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
2. जिला विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि सोशल आडिट के अन्तर्गत **ATR** का भी नियमित अनुश्रवण करें तथा आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी स्तर से भी कार्यवाही कराएं।

ई0पी0एफ की वेबसाइट पर जनपद स्तर से **DSAC/BSAC** की **KYC** में उनके आधार, पैन एवं बैंक खाता विवरण इत्यादि से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि (आधार, पैन एवं बैंक खाता विवरण) तीनों **Documents** में **DSAC/BSAC** की व्यक्तिगत जानकारी एक समान होने पर ही **KYC** की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी तथा यदि उपरोक्त तीनों **Documents** (आधार, पैन एवं बैंक खाता विवरण) में किसी **DSAC/BSAC** के नाम में भिन्नता है तो ई0पी0एफ की वेबसाइट पर शेष **Documents** को अपलोड कर दिया जाए एवं भिन्नता वाले **Document** को **Correction** कराकर **KYC** अपलोड की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

पत्रांकः–574 /सो0आ0नि0–3/463/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग–7), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5– संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

29/1/19

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।